ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. No.- 80-83**

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-I, Issues-35, YEAR-Jan-Mar. 2025

साइवर क्राइम नियंत्रण में पुलिस की भूमिका

डॉ0 अवध किशोर सिंह

असिस्टेन्ट प्रोफेसर–मनोविज्ञान विभाग, हरि प्रसाद शाह महाविद्यालय, निर्मली (सुपौल) बी0 एन0 मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा (बिहार) भारत

Received-12.01.2025, Revised-20.01.2025, Accepted-26.01.2025 **E-mail:aaryvart2013@gmail.com**

सारांशः वर्तमान में 20वीं सदी के अंतिम दशक में अपराध की प्रकृति में भी परिवर्तन आया है। इन्हीं अपराधों में प्रमुख हैः साइबर अपराध। यदि हम इन साइबर अपराधों का अध्ययन करें तो, यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत अब साइबर युग में आ चुका है और अपने लाक्षणिक प्रभाव दिखा चुका है। साइबर अपराध के रूप में हमारे समाज को एक ऐसे खतरे का सामना करना पड़ रहा है, जिससे निपटने के लिए न तो पर्याप्त कानून है, न तफतीश की उचित तकनीक और न ही उनको लागू करने वाले प्रशिक्षित लोग।

कुंजीभूत शब्द– साइवर क्राइम, अपराध की प्रकृति, कानून, तफतीश, सामाजिक मापदण्ड, कानूनी दृष्टि, अपराधी संहिता

प्रत्येक समाज अपनी सामाजिक संरचना और व्यवस्था को बनाए रखने एवं ठीक प्रकार से चलाने के लिए कुछ नियमों, प्रथाओं, रूढ़ियों, जनरीतियों एवं सामाजिक मापदण्डों को विकसित करता है। इनमें से कुछ के विपरीत आचरण करने पर निंदा की जाती है कुछ का उल्लंघन अनैतिक माना जाता है, तो व्यवहार के कुछ प्रतिमानों के विरूद्ध कार्य करने पर समाज द्वारा कठोर दंड दिया जाता है। अपराध एक सावीभौमिक तथ्य है। यह सभी जगह सभी कालों में उपस्थित रहा है, प्राचीन समय में जहां इसका धर्म एवं नैतिकता से घनिष्ट संबंध रहा है वहीं 20वीं शताब्दी में अपराध को समाज विरोधी कार्य माना गया। कानूनी दृष्टि से अपराध वे सारे कार्य हैं जो किसी समय विशेष में किसी राज्य में संविधान, अपराधी संहिता या राज्य के नियमों के विपरीत घोषित किए गए हो, अपराध कहलाएंगे।

भारत में तीन प्रकार के अपराध माने गए हैः

1. भारतीय दण्ड विधान द्वारा दण्डनीय अपराध जैसे– हत्या, मारपीट, अपहरण, चोरी, लूट, सार्वजनिक अशान्ति पैदा करना, मान–हॉनि, विश्वासघात, धोखा आदि।
2. दण्ड प्रक्रिया संहिता द्वारा दण्डीय अपराध जैसे दुर्व्यहार करना तथा शांति भंग करना।
3. ऐसे अपराध जो स्थानीय एवं विशिष्ट कानूनों के द्वारा दण्डनीय है।

भारत में यदि हम अब तक के अपराधों की विशेषताओं पर दृष्टिपात करें तो, कुछ तथ्य दृष्टिगोचर होते हैं जैसे– यहां स्त्रियों की तुलना में पुरूषों द्वारा अपराध अधिक किए जाते हैं। प्रति सौ अपराधियों में से पुरूषों अपराधियों की संख्या 96 तथा महिला अपराधियों की 4 है। गांवों की तुलना में नगरों में अपराध अधिक होते हैं, बालकों की तुलना में युवकों द्वारा अपराध अधिक किए जाते हैं। भारत में 18 से 30 वर्ष की आयु वर्ग में अपराध की दर सर्वाधिक (44.9प्रतिशत) है।

वर्तमान में 20वीं सदी के अंतिम दशक में अपराध की प्रकृति में भी परिवर्तन आया है। इन्हीं अपराधों में प्रमुख है साइबर अपराध। यदि हम इन साइबर अपराधों का अध्ययन करें तो यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत अब साइबर युग में आ चुका है और अपने लाक्षणिक प्रभाव दिखा चुका है साइबर अपराध के रूप में हमारे समाज को एक ऐसे खतरे का सामना करना पड़ रहा है जिससे निपटने के लिए न तो पर्याप्त कानून है न तफतीश की उचित तकनीक और न ही उनको लागू करने वाले प्रशिक्षित लोग।

साइबर युग में अपराध भी हाइटेक हो गया है। साइबर क्राइम वर्तमान में समाज के सामने एक बढ़ती समस्या है। साइबर क्राइम कई प्रकार से किया जाता है जैसे–किसी का सोर्स चोरी कर, व्यावसायिक प्लान चोरी, अश्लील तस्वीर साईट पर डालकर, वायरस डालकर, धमकी भरा ई–मेल भेजना आदि। आंकड़ों के अनुसार गत वर्ष केवल औद्योगिक क्षेत्र में ही अपराध के छः हजार से अधिक कंप्यूटर अपराध दर्ज किए गए हैं। जिसमें से 37 प्रतिशत सोर्स कोड़ चोरी, 20 प्रतिशत व्यावसायिक प्लान चोरी, 29 प्रतिशत क्रेडिट कार्ड सूचना चोरी तथा 14 प्रतिशत अन्य अपराध शामिल थे। ये आंकड़े केवल सामने आने वाले अपराधों की संख्या दर्शाते हैं, कितने ऐसे अपराध हैं जो सामने नहीं आ पाते। दिल्ली में आए दिन होनेवाले साइबर अपराधों के सामने आने के बावजूद कुल 40 मामले दर्ज किए गए। जिनमें सोर्स कोड़, हैकिंग, प्रोनोग्राफी मैटिरियल के मामले शामिल हैं।[1]

दिल्ली के छात्रों का मामला तो संयोग से प्रकाश में आ गया। उनकी अश्लील हरकतों की यदि वेबसाइट पर खरीद–फरोख्त के लिए नहीं रखा गया होता तो, शायद ही यह मामला सामने आ पाता। अपराधियों को इसमें गोपनीयता का सुरक्षाकवच स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, जिसे भेदना अत्यंत कठिन होता है। वे न केवल अश्लील सूचनाओं का व्यापार कर रहे हैं बल्कि धड़ल्ले से दूसरों के बैंक खातों से रुपए भी उड़ा रहे हैं और इस तरह के दूसरे अन्य अपराध कर रहे हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।[2] सूचना तकनीकी एक्ट के माध्यम से ऐसे अपराधों को रोकने के लिए वर्ष 2000 में यह अधिनियम बनाया गया था। लेकिन वर्तमान में इस एक्ट के अंतर्गत बहुत कुछ ऐसा छूट गया था जो साइबर अपराधों को रोक पाने में असफल रहा है।

सूचना तकनीकी कानून (आईटी एक्ट) और पुलिस की भूमिका– इलैक्ट्रानिक माध्यमों को रोजमर्रा की जिंदगी में वैधता देने तथा साइबर अपराधों से निपटने के लिए वर्ष 2000 में सूचना तकनीक एक्ट के नाम से एक नया कानून बनाया गया। साइबर कानून की निम्न धाराएं हैंः

1. आईटी एक्ट की धारा 65 के तहत सोर्स कोड़ चोरी के मामले दर्ज होते हैं।
2. आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत हैकिंग संबंधी अपराध दर्ज होते हैं।
3. आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत प्रोनोग्राफी मेटिरियल अपराध दर्ज होते हैं।

कानून का उल्लंघन करने वाला विश्व के किसी भी कोने में हो, उसे इसके तहत दोषी माने जाने का प्रावधान किया गया है। इससे जुड़े दीवानी मुकद्मों को सामान्य न्यायालयों से बाहर करके उनके निपटारे के लिए अलग एजेन्सी का गठन किया गया है। उन्हें मुआवर्जे के अलावा एक करोड़ रुपए तक के अर्थदण्ड देने का अधिकार दिया गया। तफतीश की जिम्मेदारी पुलिस उपाधीक्षक या उससे बड़े अधिकारी को दी गई। दण्ड प्रक्रिया संहिता से अलग हटकर पुलिस अधिकारियों को बगैर वारंट तलाशी लेने का अधिकार दिया गया। इस कानून में साइबर स्क्वैटिंग, साइबर स्टॉकिंग, साइबर मानहानि तथा नेटशॉपिंग में क्रेडिट कार्ड के दुरुपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त उपबंध नहीं है। साइबर स्क्वैटिंग का तात्पर्य ऐसी गतिविधि से है जिसमें किसी स्थापित कंपनी के नाम को चुरा या

अनुरूपी लेखक/ संयुक्त लेखक

अपना लिया जाता है। अभी तक इस तरह के मामलों को ट्रेड एण्ड मर्केंडाइज एक्ट 1958 और ट्रेड मार्क्स एक्ट, 1999 के तहत ही दर्ज किया जा सकता है, जो बदली हुई परिस्थितियों में कम प्रभावी है। उसी प्रकार साइबर स्टॉकिंग के शिकार लोगों के लिए भी इस कानून में कोई ठोस उपचार नहीं है। किसी व्यक्ति को अवांछित या अयाचित सूचनाएं या संदेश भेजकर आतंकित करने को साइबर स्टॉकिंग कहा जाता है। क्रेडट कार्डो के माध्यम से धोखाधड़ी की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। अपराधी डाटाबेस में संकलित सूचनाओं मे प्रवेश करके उन्हें चुराकर उसका दुरुपयोग कर लेते हैं। इस तकनीक का इस्तेमाल टैक्स चोरी, धनशोधन और एक खाते से दूसरे खाते में धन का गैरकानूनी हस्तांतरण हो रहा हैं। इसके अलावा इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों से की जाने वाली मानहानि का प्रचलन हालांकि अभी शुरूआती दौर में है किंतु इससे अपूरणी क्षति हो सकती है।

इस कानून में अदालतों के क्षेत्राधिकार के मामले में भी कुछ व्यावहारिक समस्याएं हैं। इसकी धारा 75 के अनुसार, विश्व के किसी कोने में बैठा ऐसा व्यक्ति, जो भारत में कोई क्षति कारित करता है या आईटी एक्ट का उल्लंघन करता है, तो वह इस कानून के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। इससे जुड़ा हुआ सवाल यह है कि क्या हम दूसरे देश में किसी अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकते हैं। कभी कभार होने वाले प्रत्यर्पण के मुकद्में में अभियुक्त को भारत लाना जहां बड़ा कठिन होता है वहां लाखों की तादाद में अपराध करनेवाले लोगों को प्रत्यर्पित करना क्या संभव होगा? इसी तरह की समस्या इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों से की जाने वाले करारों में भी आएगी। इसलिए कानूनों की इस तरह की कमियों को दूर करना भी आवश्यक है।

साइबर अपराधों में इंटरनेट घंटों की चोरी करने के मामले भी सामने आ रहे हैं। सूचना तकनीक कानून में इससे निपटने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं और जानकारियों से जुड़े जोखिम भी बढ़ते जा रहे हैं, जैसे स्वास्थ्य, सलाह देने वाले नीम हकीम। वर्ष 2004 में केवल अमेरिका में लगभग साढ़े तीन लाख साइबर नीम–हकीमों की मदद ली गई।

वर्तमान में साइबर क्राइम में ठगी से संबंधित अपराध सबसे अधिक प्रकाश में आ रहे हैं। जैसे जनवरी 2025 में एक कपड़ा कारोबारी पाँच लोगों से 4.53 लाख रूपये साइबर अपराधियों ने ठग लिए। सामान भेजने और निवेश इत्यादि के बहाने शातिरों ने चपत लगाई। पीड़ितों की शिकायत पर साइबर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।

बिहटा निवासी व्यक्ति का कपड़े का कारोबार है। वह अमूमन अपना सामान सूरत इत्यादि शहरों में जाकर खरीदते थे? इसी दौरान आने–जाने के खर्च से बचने के लिए उन्होंने ऑन लाइन माल मंगाने की योजना बनाई। उन्होंने इंटरनेट से नंबर ढूढ़ सूरत की एक कम्पनी को कपड़े का आर्डर दिया। शातिरों ने कपड़ा भेजने का झांसा देकर पीड़ित से 75 हजार अपने खाता में मंगा लिए और संपर्क खत्म कर लिया। ठगी का अहसास होने पर उन्होंने घटना की शिकायत साइबर थाने में की। अन्य मामले में पटना के जक्कनपुर निवासी के पास ना तो लिंक आया और ना ही उन्होंने खाता सम्बन्धी जानकारी किसी से साझा किया। बावजूद इसके उनके यूको बैंक के खाते से एक लाख रूपये कट गए।

पटना के ही जानीपुर निवासी व्यक्ति के व्हाट्सप पर बीते दिनों एक लिंक वाला मैसेज आया था। मैसेज में लिंक पर क्लिक करने की बात लिखी हुई थी। उत्सुकतावश पीड़ित ने लिंक पर क्लिक कर दिया। ऐसा करते ही उनके खाते से 99 हजार रुपये कट गए। कदमकुआं निवासी युवक के व्हाट्सप पर एक वाइक बेचने का मैसेज आया था। बात करने पर शातिर ने खुद को सेना का जवान बताया। बाइक के लिए 94 हजार रूपये अग्रिम मंगा लिया। बाद में वह पीड़ित पर पाँच हजार रूपये और भेजने का दबाव बनाने लगा। वहीं निवेश के लिए टेलीग्राम पर लिंक भेजकर अगमकुआं निवासी के खाते से 85 हजार की निकासी कर ली गई।[3]

साइबर अपराधियों ने न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी निवासी के पास एक मिनट की अश्लील वीडियो कॉल की। बाद में दिल्ली पुलिस का अधिकारी बनकर सोसल मीडिया से अश्लील वीडियो डिलीट करने के नाम पर 5.73 लाख रूपये ठग लिए?

वही, क्रिप्टो कारोबार एवं अन्य बहाने से कुल छः लोगों का शातिरों ने पौने नौ लाख का चूना लगा दिया। पीड़ितों की शिकायत पर साइबर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी निवासी के पास छः जनवरी 2025 को अनजान नंबर से वीडियो कॉल आई थी। कॉल उठाते ही उसमें अश्लील वीडियो चलने लगा। अगले दिन शातिरों ने खुद को दिल्ली पुलिस का अधिकारी बता कहा कि अश्लील वीडियो सोसल मीडिया पर अपलोड है। बदनामी व गिरफ्तार का भय दिखाकर यू ट्यूब से वीडियो रिमूव करने के नाम पर उनसे 5.73 लाख रूपये खाते में मंगवा लिए। अन्य मामले में क्रिप्टो ट्रेडिंग का झांसा देकर कंकड़बाग प्रोफेसर कॉलोनी निवासी से 87 हजार की ठगी कर ली गई। कंकड़बाग पोस्टल पार्क निवासी ने स्मार्ट मीटर के लिए आवेदन दे रखा था। ठगों ने खुद को बिजली कंपनी अधिकारी बताकर निजी जानकारी लेकर खाते से 85 हजार निकाल लिए। वहीं घर बैठे नौकरी के नाम पर नासरीगंज निवासी को 59 हजार और दीघा की महिला से 20 हजार ठग लिये। क्रेडिट कार्ड के बहाने अल्पना मार्केट निवासी महिला से 50 हजार रूपये ठग लिए[4]।

पटना जिला अर्न्तगत मसोढ़ी के मेघनीबिगहा गांव निवासी आनंद कुमार की पत्नी अर्चना कुमारी के बैंक खाता से साइबर अपराधियों ने दो बार बीस हजार रूपये उड़ा दिया है। पीड़िता ने थाने में लिखित आवेदन सौंपकर कानूनी कारर्वाइ की गुहार लगाई है।[5]

बेंगलुरू में साइबर ठगों ने एक इंजीनियर से 11 करोड़ रूपये ठग लिए। जालसाजों ने सरकारी अधिकारी बनकर फोन किया और मनी लॉड्रिंग के मामले में गिरफ्तारी करने की धमकी देकर उससे ठगी की।

पुलिस के अनुसार, आरोपियों को पता चला कि टेक इंडस्ट्री में काम करने वाले विजय कुमार ने 50 लाख रूपये का बाजार निवेश किया है, जो बढ़कर 12 करोड़ रूपये हो गए हैं। इसके बाद उन्होंने खुद को पुलिस, सीमा शुल्क और ईडी अधिकारी बताकर गिरफ्तार की धमकी देकर ठगी की। इस मामले की जाँच चल रही है।[6]

फुलवारीशरीफ के एक व्यक्ति को होटलों की रेटिंग करने के नाम पर झांसा देकर शातिरों ने उनके खाते से 5 लाख 74 हजार 334 रूपये उड़ लिये। खाजेपुरा की एक युवती से डिलीवरी ब्याव संजीव कुमार ने 30 हजार 994 रूपये खाते से उड़ा लिये। कुम्हरार के रहने वाले युवक ने (पुरी) ओड़िशा में एक होटल को बुक करने के लिए गुगल पर होटल का नंबर सर्च किया। शातिरों ने होटल बुक करने के नाम पर 7200 रूपये की ठगी कर ली। वही मजस्ट्रेट कॉलोनी में रहने वाले एक व्यक्ति का तीन माह से गैस का पैसा बकाया होने का झांसा देकर शातिरों ने मोबाइल पर लिंक भेजा और खाता से 9 लाख 42 हजार रूपये की निकासी कर ली।[7]

इसी तरह सेक्स से संबंधित अपराध सबसे अधिक संख्या में प्रकाश में आ रहे हैं। भारत में बड़े पैमाने पर तथा बड़ी संख्या में साइबर अपराध हो रहे हैं। वर्तमान में यदि हम साइबर क्राइम को रोकने में पुलिस की भूमिका की बात करें तो यह बात स्पष्ट है कि

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-I, Issues-35, YEAR-Jan-Mar. 2025

पुलिस इन अपराधों को रोकने में अक्षम साबित हो रही है। पुलिस के लिए साइबर अपराध एक नया क्षेत्र है। वर्तमान में टैक्नोलोजी जिस रफ्तार से दौड़ रही है, उससे कदम मिलाना सरकारी एजेन्सियों के लिए मुश्किल हो रहा है। पुलिस कभी कभार फुटकर विक्रेताओं की दुकानों पर अश्लील सामग्री पकड़कर अपने कार्य को अंजाम देती है। जबकि अपराध का क्षेत्र इससे कहीं विस्तृत हो चुका है। पुलिस के द्वारा साइबर अपराध के क्षेत्र में निम्न कठिनाइयों का सामना किया जा रहा है।

1. सूचना तकनीकी एक्ट के प्रभावी होने के तहत इस प्रकार का मामला केवल एसएसपी अधिकारी स्तर पर ही दर्ज किया जा सकता है, जबकि यहां पर पीड़ितों का सामना थाने पर एस.एस.ओ. स्तर के अधिकारियों से होता है। ऐसे में बहुत कम मामले एसएसपी पर दर्ज हो पाते हैं तथा ऐसे में मामलों के निस्तारण में भी अधिक समय लगता है।
2. साइबर क्राइम जैसे क्षेत्रों के लिए पुलिस बल पूर्ण रूप से प्रशिक्षित नहीं है। यद्यपि पुलिस के द्वारा बहुत से मामलों का खुलासा किया गया है, परंतु आज पुलिस इन अपराधों को रोक पाने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हे। यह वैसे ही है, जैसे कुछ समय पहले तक पुलिस के पास जीपें और मामूली राइफलें हुआ करती थीं, जबकि अपराधी मारुति कारों और एके–47 राइफलों का इस्तेमाल करने लगे। यही स्थिति आज पुलिस के साथ फिर है। जहां एक और अपराधी साइबर क्राइम जैसे ब्लू फिल्म बनाना, सोर्स कोड़ चोरी करना, व्यावसायिक प्लान चोरी करना जैसे अपराधों को जन्म दे रहे हैं वही पुलिस अभी तक इसकी पूर्ण जानकारी के अभाव में हैं। इसका एक प्रमुख कारण पुलिस का वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप प्रशिक्षित न होना है। पुलिस का प्रशिक्षण आज भी सामान्य अपराधों को नियंत्रण करने से संबंधित है जबकि दूसरी ओर अपराधी अपराध की दुनिया में इससे बहुत आगे जा चुके हैं।
3. भारत में न्यायिक प्रक्रिया की शिकायत दर्ज कराने से बचता है जिससे पुलिस के पास ऐसे मामले कम दर्ज हो पाते हैं। तथा मीडिया से बचने के लिए भी लोग ऐसे मामलों की शिकायत कम करते हैं।
4. वर्ष 2000 का सूचना तकनीक एक्ट साइबर क्राइम को पूर्ण रूप से रोक पाने में सक्षम नहीं है। आज बहुत कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो इससे बाहर छूट गया है। इस कानून में साइबर स्क्वैटिंग, साइबर स्टॉकिंग, साइबर मानहानि तथा नेटशापिंग में क्रेडिट कार्ड के दुरुपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त उपाबंध नहीं है। तथा साथ ही साथ इस कानून में अदालतों के क्षेत्राधिकारों के मामलों में भी कुछ व्यावहारिक समस्याएं हैं ऐसे में पुलिस बल के द्वारा 2004 के सूचना तकनीक एक्ट के आधार पर साइबर क्राइम को रोक पाना पूर्ण रूप से संभव नहीं है।
5. एमएमएस मामले में जिसमें स्कूली छात्रा की दो मिनट की क्लिप को आईटी तकनीक के सहारे लाखों प्रतियां बनाने तथा बाजार तक पहुंचाने और इंटरनेट में उतारने तक पुलिस की भूमिका नगण्य रही तथा बाद में उनकी नींद मीडिया ने खोली। इससे यही जाहिर होता है कि पुलिस सेक्स संबंधित आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल की जा रही आज की तेजी से बदलती और आधुनिक होती आईटी तकनीक का पूर्ण रूप से मुकाबला करने में अक्षम साबित हो रही है।
6. पुलिस के पास इसके अतिरिक्त भी इतने अधिक मामले लंबित रहते हैं जिससे पुलिस के लिए केवल इन मामलों के लिए पूर्ण समय दे पाना कठिन हो जाता है जिससे इन साइबर क्राइम को पुलिस के लिए रोक पाना कठिन कार्य हो जाता है।
7. समाज में जिस अनुपात में अपराधों की संख्या में वृद्धि हो रही है उस अनुपात में सरकार पुलिस बल की संख्या में वृद्धि नहीं कर पाई है। इसी कारण कम पुलिस बल के कारण पुलिस इस प्रकार के अपराधों को समझने व खोलने में नाकामयाब साबित हो रही है।

वर्तमान में पुलिस के द्वारा इस तरह के अपराध को न रोक पाने से उसमें झुंझलाहट दिखाई देती है। इसी झुंझलाहट का परिणाम है कि वह असली अपराधी के बजाय आईटी एक्ट की चपेट में लाए जा सकने वाले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसे हवालात का रास्ता दिखा देती है। एमएमएस कांड में पुलिस आई.आई.टी. के एक विद्यार्थी को पकड़ लेती है तथा पुलिस बाजी डाट काम के सीईओ अवनीश बजाज को जो स्वयं पुलिस की मदद करना चाहते हैं, को ही आईटी एक्ट 67 के तहत गिरफ्तार कर हवालात में डाल देती है। वास्तव में इन दोनों में कोई भी अपराधी नहीं था। पुलिस के द्वारा दिल्ली की इस घटना के बाद साइबर कैफों पर छापा मारा जिसमें पुलिस ने अश्लीलता दिखाने के नाम पर पुलिस बर्बरता, टीन एजर्स के साथ बदसलूकी, शर्मनाम परेड और सैकड़ों निर्दोष लोगों पर कहर बरसाया। साइबर कैफों पर छापेमारी के दौरान पुलिस ने तानाशाहों की भांति कार्य किया तथा हंगामा किया। लेकिन क्या इस तरह की कार्रवाई से इस प्रकार के अपराधों को रोका जा सकता है। पुलिस की कार्यप्रणाली समाज में इस प्रकार के बढ़ते साइबर अपराधों को रोकने के अनुरूप नहीं है। इसलिए इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए पुलिस स्तर पर निम्न प्रयास किए जाने चाहिए।

साइबर क्राइम को रोकने के लिए पुलिस स्तर पर सुधार –

1. सर्वप्रथम पुलिस बल को साइबर क्राइम के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। पुलिस बल जिस प्रशिक्षण के आधार पर वर्तमान अपराधों को रोकने का प्रयास कर रहा है, वह क्षेत्र साइबर क्राइम से बहुत पीछे हैं। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि पुलिस को नवीन तकनीकों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाए जिससे साइबर क्राइम के क्षेत्र में वह अपनी भूमिका को अधिक सारगर्भित बना सके।
2. साइबर कानून के तहत साइबर क्राइम की रिपोर्ट एस.एस.पी. स्तर के अधिकारी के साथ–साथ एस.एच.ओ. थाने स्तर पर भी होनी चाहिए जिससे अधिक से अधिक लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकें तथा अपराधों के निस्तारण का दायरा भी विस्तृत हो सके।
3. पुलिस की भूमिका को और सारगर्भित बनाने के लिए कानून को अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए। सूचना तकनीकी एक्ट के अंतर्गत जो क्षेत्र छूट गए हैं उनको नए साइबर कानून के अंतर्गत समाहित किया जाना चाहिए जिससे साइबर कानून को पुलिस और अधिक प्रभावी ढंग से लागू कर सके।
4. पुलिस बल की संख्या में भी वृ0 की जानी चाहिए। जिस अनुपात में जनसंख्या एवं अपराध बढ़ रहे हैं उस अनुपात में पुलिस बल की संख्या नहीं बढ़ रही है। जिस कारण पुलिस पर कार्य का अतिरिक्त कार्यभार बढ़ रहा है इसलिए पुलिस बल को अधिक प्रभावी बनाने के लिए पुलिस बल की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए।
5. साइबर क्राइम को रोकने के लिए पुलिस को समाज का सहायोग भी प्राप्त होना चाहिए। अधिक से अधिक लोगों को अपनी शिकायत पुलिस में दर्ज करानी चाहिए और पुलिस को ऐसे अपराधों की छानबीन में अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करना चाहिए।

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-I, Issues-35, YEAR-Jan-Mar. 2025

साइबर क्राइम को यदि समाज में रोकना है, तो इसके लिए समाज में हम सभी को प्रयास करने होगें। सरकारी स्तर और विभाग के द्वारा अकेले साइबर क्राइम को रोक संभव नहीं है। समाज में ऐसे अपराधों के लिए जागृति पैदा करनी होगी। वास्तव में, यह एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिसे पुलिस अकेले हल नहीं कर सकती। इन मामलों में पुलिस के साथ–साथ परिवार और समाज को भी जिम्मेदारी संभालनी होगी। असल में माता–पिता और बच्चों में रिश्तों में सबसे बड़ा खालीपन सेक्सुअलिटी को लेकर ही रहता है अवांछित बर्ताव के लिए बच्चों की भर्त्सना करने की बजाय सेक्स से जुड़े सवालों पर खुली बहस और जवाब की जरूरत हैं इसके साथ–साथ सेकस संबधी शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। हाईस्कूल के स्तर पर यह जरूरी हो जाता है कि बच्चे सही जानकारी हासिल करें और करीबी रिश्तों के बारे में सही नजरिया अपनाना सीखें। इसलिए इस स्तर पर उचित सेक्स शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। क्योंकि अज्ञानता का नतीजा वही हो सकता है, जैसा एमएमएस कांड में हुआ है। इस तरह की जानकारी युवा वर्ग को अपने साथियों, मीडिया, प्रोनोग्राफी और इंटरनेट से मिलती है, जिससे इस तरह के अपराध भी अधिक घटित होते हैं। इसलिए इस आयु में उचित सेक्स एजुकेशन युवाओं को वैज्ञानिक तरीके से प्रदान की जानी चाहिए।

साइबर क्राइम को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को अधिक सार्थक भूमिका निभानी होगी। पुलिस को जनता में जागृति लाकर उनका अधिक से अधिक विश्वास जीतना चाहिए। जिससे अधिक से अधिक शिकायतें दर्ज जो सकें। क्योंकि वर्तमान में 50 प्रतिशत लोग ही ऐसे मामलों की शिकायतें करते हैं, जिनमें से 1 या 2 प्रतिशत की रिपोर्ट दर्ज हो पाती है। वर्तमान में कानून कमजोर होना भी इसका एक प्रमुख कारण है तथा सामान्य व्यक्ति पुलिस के चक्कर लगाने तथा मीडिया से बचने के लिए भी इस प्रकार के अपराधों को दर्ज कराने से बचते हैं। इसके साथ–साथ न्यायिक प्रक्रिया इतनी धीमी है कि पीड़ित व्यक्ति इन चक्करों में पड़ना नहीं चाहता। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि साइबर क्राइम को रोकने के लिए नए कानून का निमार्ण किया जाए जो, सूचना तकनीक एक्ट की कमियों को पूरा करता हो तथा इसके अंतर्गत छूट गए क्षेत्रों को समाहित करता हो साथ ही साथ पुलिस को भी नवीन तकनीक के आधार पर प्रशिक्षित किया जाता चाहिए, जिससे वह इन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू कर समाज में बढ़ते हुए साइबर क्राइम को नियंत्रित कर सकें।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Bansal, S.K. 'cyber Millennium : challenges and opportunities A.P.H. publishing corporation, New Delhi, 2002.
2. The Times of India, English, Daily News paper.
3. हिन्दुस्तान, पटना 18 जनवरी 2025, पृष्ठ – 09.
4. हिन्दुस्तान, पटना 19 जनवरी 2025, पृष्ठ – 07.
5. हिन्दुस्तान, पटना 20 जनवरी 2025, पृष्ठ – 09.
6. हिन्दुस्तान, पटना 20 जनवरी 2025, पृष्ठ – 17.
7. हिन्दुस्तान, पटना 23 जनवरी 2025, पृष्ठ – 07.

*****